

अंचल कार्यालय, महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या-124/16-17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (झारखण्ड में अंगीकृत) धारा-4 (H) के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के पत्रांक 04/रा0भू0 (दिशा निर्देश)-95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनावदी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जांच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा-काठशाला थाना संख्या'-289 खाता संख्या-98 कुल रकवा-01 बीघा 16 कट्ठा 16 धूर भूमि विगत सर्वे खतियाना में है एवं मौजा-काठशाला के राजस्व पंजी-II में दिजपद पाल के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के जमाबंदी कायम है एवं लोकहित एवं सरकार के हित में कायम जमाबंदी विलोपन एवं सरकार में सन्निहित करने की अनुशंसा की गई है। इस कार्यालय के पत्रांक 533/रा0 दिनांक 18.07.2016 से निर्गत नोटिश, जो अभिलेखबद्ध है, के प्रत्युत्तर में कोई भी बैध राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एवं सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत कायम की गई है। अतः मौजा-काठशाला थाना संख्या'-289 खाता संख्या-98 कुल रकवा-01 बीघा 16 कट्ठा 16 धूर भूमि का विपक्षी-सह- पंजी-II रैयत दिजपदपाल झा ग्राम-काठशाला के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के राजस्व पंजी-II में कायम जमाबंदी हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उपरोक्त व्यक्ति मौजा में उपलब्ध नहीं पाया गया। वाद की कार्यवाई वर्ष 2016-17 से लंबित है। समय अधिक हो गया है। ऐसी परिस्थिति में वाद को आगे चलाना न्याय संगत नहीं है अतः तत्काल रूप से बंद की जाती है। अभिलेख संचिकास्त अंचल अधिकारी महेशपुर  अंचल अधिकारी महेशपुर	